भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1635
(दिनांक 10.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

टीआरपी के संबंध में दिशानिर्देश

1635. डॉ. नामदेव किरसानः
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जुलाई 2025 में सरकार द्वारा जारी "भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिर्देश" (टीआरपी दिशानिर्देश) के प्रारूप की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) परामर्श के पहले दौर में हितधारकों, विशेषज्ञों या संगठनों को दिए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है और प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने सभी प्लेटफार्मों पर नई रूपरेखा के लागू होने की कोई संभावित तिथि निर्धारित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार टेलीविजन रेटिंग में किस प्रकार पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और पक्षपातपूर्ण या विरोधाभासी गणना को रोकेगी?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): भारत में टेलीविजन रेटिंग भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 द्वारा शासित होती हैं।

दिनांक 02.07.2025 को, सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए इन दिशानिर्देशों के संबंध में मसौदा संशोधन प्रकाशित किए। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम करना, अधिक सटीक और प्रतिनिधि डेटा का सृजन करना और यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देश भर में दर्शकों की विविध और विकसित मीडिया उपभोग संबंधी आदतों को दर्शाती है।

इनपुट की जांच करने के बाद, सार्वजनिक परामर्श के लिए दिनांक 06.11.2025 को एक संशोधित मसौदा संशोधन प्रकाशित किया गया है।

*****